ए.

कांता विभाग युवा कोली समाज परिवर्तन ट्रस्ट और अन्य

वी.

गुजरात राज्य और अन्य (2019 की सिविल अपील संख्या 1046) 21 जनवरी, 2022

बी.

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और बेला एम त्रिवेदी**,** जे**.** जे**.]**

प्रशासनिक कानून-न्यायिक कार्यों को एक प्रशासनिक विशेषज्ञ समिति को सौंपना-अपीलार्थीगण ने खुले लैंडफिल स्थल पर नगरपालिका के ठोस कचरे (एमएसडब्ल्यू) को फेंकने के खिलाफ एनजीटी की पश्चिमी क्षेत्र पीठ के समक्ष एक मूल आवेदन (ओए) दायर किया-ओ. ए. पर एनजीटी की पश्चिमी क्षेत्र पीठ द्वारा लगातार सुनवाई की जा रही थी और इसने पहले ही महत्वपूर्ण अंतरिम निर्देश जारी कर दिए थे-हालांकि, प्रधान पीठ (एनजीटी) ने अपीलार्थीगण द्वारा दायर उक्त ओ. ए. का इस आधार पर निपटारा किया कि एक अन्य ओ. ए. में एनजीटी ने एस. डब्ल्यू. एम. नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शीर्ष, क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया था-अपीलार्थीगण द्वारा दायर ओ. ए. इस प्रकार मामले का प्रतिनिधित्व करने और उपयुक्त समिति के समक्ष सभी शिकायतों को उजागर करने की स्वतंत्रता के साथ बंद कर दिया गया था।समितियों का गठन इसलिए किया जाता है क्योंकि कई मामलों में तथ्य-खोज की कवायद जटिल, तकनीकी और समय लेने वाली हो सकती है, और अक्सर समितियों को क्षेत्र का दौरा करने की आवश्यकता हो सकती है-इन समितियों का गठन उनके जनादेश को रेखांकित करने वाले संदर्भ की विशिष्ट शर्तों के साथ किया जाता है, और उनकी रिपोर्टों को जनादेश के अनुरूप होना पड़ता है-एक बार जब ये समितियां अदालत/न्यायाधिकरण को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, तो पक्षकारों के लिए उन पर आपत्ति करने के लिए खुला होता है, जिस पर तब निर्णय लिया जाता है-इन विशेषज्ञ समितियों की भूमिका अदालत या न्यायाधिकरण की न्यायिक भूमिका का स्थान नहीं लेती है-एनजीटी इन मुख्य न्यायिक कार्यों को प्रशासनिक विशेषज्ञ समितियों को सौंपकर अपने अधिकार क्षेत्र का त्याग नहीं कर सकता है-राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010-एस।14, 15 और 22-नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रबंधन) नियम 2000-जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रबंधन) नियम 1998।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1006

1007

कांता विभाग युवा कोली समाज परिवर्तन ट्रस्ट बनाम गुजरात राज्य ए

ए.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1.** सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि अदालतों/न्यायाधिकरणों द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समितियों को कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने या किसी विशेष कानून के तहत सरकार द्वारा स्थापित समितियों से अलग किया जाए।उत्तरार्द्ध को किसी दिए गए क्षेत्र में उनकी तकनीकी विशेषज्ञता के कारण स्थापित किया जाता है, और उनकी रिपोर्ट, न्यायिक रूप से देखे गए प्रतिबंधों के अधीन होती हैं, अदालतों के समक्ष न्यायिक समीक्षा के लिए खुली होती हैं जब निर्णय पूरी तरह से उनके आधार पर लिए जाते हैं।इस न्यायालय के उदाहरणों में सर्वसम्मति से कहा गया है कि अदालतों को इन समितियों की राय को अस्वीकार करने में सावधानी बरतनी चाहिए, जब तक कि वे अपने निर्णय को स्पष्ट रूप से मनमाना या दुर्भावनापूर्ण नहीं पाते हैं।दूसरी ओर, अदालतें/न्यायाधिकरण स्वयं अवसर पर विशेषज्ञ समितियों का गठन करते हैं।इन समितियों की स्थापना इसलिए की जाती है क्योंकि कई मामलों में तथ्य खोजने की कवायद जटिल, तकनीकी और समय लेने वाली हो सकती है, और अक्सर समितियों को क्षेत्र का दौरा करने की आवश्यकता हो सकती है।इन समितियों का गठन उनके जनादेश को रेखांकित करने वाले संदर्भ की विशिष्ट शर्तों के साथ किया जाता है, और उनकी रिपोर्ट को जनादेश के अनुरूप होना चाहिए।एक बार जब ये समितियाँ अदालत/न्यायाधिकरण को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, तो पक्षकारों के लिए उन पर आपत्ति करने के लिए खुला होता है, जिस पर फिर निर्णय लिया जाता है।इन विशेषज्ञ समितियों की भूमिका न्यायालय या न्यायाधिकरण की न्यायिक भूमिका का स्थान नहीं लेती है।एक न्यायनिर्णायक मंच द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति की भूमिका केवल उन्हें बेहतर डेटा और तथ्यात्मक स्पष्टता प्रदान करके न्यायनिर्णायक कार्यों के अभ्यास में सहायता करने के लिए है, जिसे सभी संबंधित पक्षों द्वारा चुनौती दी जा सकती है।आपत्तियों को उठाने और उन पर विचार करने की अनुमति देना सभी हितधारकों के लिए प्रक्रिया को निष्पक्ष और सहभागी बनाता है।धारा **14** और धारा **15** एन. जी. टी. को न्यायिक कार्य सौंपते हैं।

एनजीटी एक विशेष निकाय है जिसमें न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं।न्यायिक सदस्य मामलों के न्यायनिर्णयन में अपना अनुभव प्रदान करते हैं।दूसरी ओर, विशेषज्ञ सदस्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर वैज्ञानिक ज्ञान लाते हैं।[पारस **14** और **15] [1016-**ई**-**जी**; 1017-**सी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

2. एनजीटी इन मुख्य न्यायिक कार्यों को प्रशासनिक विशेषज्ञ समितियों को सौंपकर अपने अधिकार क्षेत्र का त्याग नहीं कर सकता है।विशेषज्ञ समितियों को एन**.** जी**.** टी**.** को उसके कार्य के निष्पादन में सहायता करने के लिए और उसके तथ्य के सहायक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है **-**

एच.

भूमिका ढूँढना।लेकिन कानून के तहत निर्णय एनजीटी को सौंपा गया है और इसे प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं सौंपा जा सकता है।न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को सौंपे गए न्यायिक कार्यों को प्रशासनिक समितियों को नहीं सौंपा जा सकता है।एनजीटी ने वर्तमान मामले में अपने अधिकार क्षेत्र को छोड़ दिया है और न्यायिक कार्यों को एक प्रशासनिक विशेषज्ञ समिति को सौंप दिया है।उदाहरण के लिए, एक विशेषज्ञ समिति एन**.** जी**.** टी**.** की सहायता करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन निर्णय एन**.** जी**.** टी**.** द्वारा किया जाना चाहिए। यह एक प्रत्यायोजित कार्य नहीं है।अतः, अपील में आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।विवादित आदेश का परिणाम उस सावधानीपूर्वक अभ्यास को समाप्त करना है जो पहले की पीठों द्वारा किया गया था।इस बीच मूल्यवान समय बर्बाद हो गया है और वर्तमान मामले में पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को पीछे छोड़ दिया गया है। **[**पारस **16** और **17] [1017-**जी**-**एच**; 1018-**ए**,** डी**-**एफ**]**

बी.

सी.

मंत्री टेकजोन **(**पी**)** लिमिटेड बनामफॉरवर्ड फाउंडेशन **(2019) 18** एस**.** सी**.** सी**. 494;** संघार जुबेर इस्माइल बनाम पर्यावरण**,** वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य

डी.

2021 एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 669-**विश्वसनीय है।

बसवैया (डॉ.) बनाम डॉ. एच. एल. रमेश, (2010) 8 एस. सी. सी. 372:[2010] 9 एससीआर 227; केरल राज्य बनाम आरडीएस परियोजना लिमिटेड,

(2020) 9 एससीसी 108:[2020] 6 एससीआर 837; हनुमान

ई.

लक्ष्मण अरोस्कर बनाम भारत संघ **(2019) 15** एससीसी **401:**

[2019] 5 एस**.** सी**.** आर**. 916-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[2010] 9 एससीआर **227**

संदर्भित किया गया है

पैरा **14**

एफ.

[2020] 6 एससीआर **837**

संदर्भित किया गया है

पैरा **14**

[2019] 5 एससीआर **916**

संदर्भित किया गया है

पैरा **15**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:सिविल अपील No.1046

2019.

जी.

2014 (डब्ल्यू. जेड.) के ओ. ए. No.81 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

एच.

1009

कांता विभाग युवा कोली समाज परिवर्तन ट्रस्ट बनाम गुजरात राज्य ए

ए.

सुश्री शिल्पा चौहान, शौहिक सिद्दीकी, डॉ. प्रत्यूष नंदन, राजेश सिंह, अधिवक्ता। अपीलार्थीगण के लिए।

सुश्री आस्था मेहता, सुश्री दीपानविता प्रियंका, सुश्री रुचि कोहली, अविजीत रॉय, तेजास पटेल, कौशल पांड्या, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी.

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. स्वीकार करें।

2. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 1 की धारा 22 के तहत यह अपील 28 सितंबर 2018 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2 की प्रधान पीठ के एक फैसले और आदेश से उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा उसने 2014 (डब्ल्यूजेड) के ओए नंबर 81 को खारिज कर दिया था।

सी.

3. एनजीटी अधिनियम की धारा 14 और 15 के तहत स्थापित 2014 (डब्ल्यूजेड) का ओए नंबर 81 जुलाई 2014 से लगभग चार साल से एनजीटी के समक्ष लंबित था।यह अपीलार्थीगण द्वारा दायर किया गया था, जो पर्यावरण संगठन हैं और संबंधित क्षेत्र में पर्यावरण के क्षरण से सीधे प्रभावित व्यक्ति हैं।ओ. ए. सूरत जिले के सर्वेक्षण संख्या 111/ए, ब्लॉक संख्या 177, खाजोद गांव, तालुका चोर्यासी में 188 हेक्टेयर के एक खुले लैंडफिल स्थल पर असंबद्ध और अनुपचारित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट 3 के डंपिंग के मुद्दे से संबंधित है, जो पैंतीस गांवों से घिरा हुआ है।लैंडफिल साइट को चौथे प्रत्यर्थी सूरत नगर निगम 4 द्वारा स्थापित किया गया था, जिसने 24 जनवरी 2003 को प्रति दिन 850 मीट्रिक टन कचरा फेंकना शुरू कर दिया था। 16 जनवरी 2014 तक डंपिंग का दायरा बढ़कर 1600 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गया।यह आरोप लगाया गया था कि बिना पूर्व उपचार के खुले क्षेत्र में कचरा फेंकना नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रबंधन) नियम 2000 और जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रबंधन) नियम 1998 का उल्लंघन था।इसके अलावा, एस. एम. सी. को स्थल के दौरे और निरीक्षण के दौरान कई चेतावनियां जारी की गई थीं, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ।यह आरोप लगाया गया था कि अपशिष्ट निपटान से स्थानीय जल निकायों और भूजल में अपरिवर्तनीय संदूषण होता है, अपशिष्ट जलने से गंभीर वायु प्रदूषण

होता है, आस-पास के गांवों की पारिस्थितिकी को नुकसान होता है और नागरिकों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है

डी.

ई.

एफ.

जी.

1 “ एनजीटी अधिनियम "2" एनजीटी "3" एमएसडब्ल्यू "4" एसएमसी "

एच.

1010

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 1 एस सी आर।

और आस-पास के पशु।अपीलार्थीगण ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए निर्देश मांगेः(i) लैंडफिल साइट पर एमएसडब्ल्यू के डंपिंग को रोकना; (ii) आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण की बहाली; (iii) लैंडफिल साइट को उसकी मूल स्थिति में पुनर्स्थापित करना; (iv) लैंडफिल साइट का आकलन करने के लिए गठित समिति द्वारा नुकसान के निर्धारण पर आस-पास के गांवों में सभी प्रभावित लोगों को मुआवजा; और (v) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 5 का कार्यान्वयन।

बी.

4. एनजीटी की पश्चिमी क्षेत्र पीठ ने 8 अगस्त 2014 को नोटिस जारी किया। उठाए गए मुद्दों के संबंध में एनजीटी की पश्चिमी क्षेत्र पीठ से कई आदेश आए।उन आदेशों में से कुछ को नोट करना पर्याप्त होगाः

सी.

(i) 20 मार्च 2015 को, एनजीटी ने नोट किया कि "प्रथम दृष्टया आवेदकों द्वारा किए गए दावों में सच्चाई है, यह इंगित करने के लिए कि एमएसडब्ल्यू संयंत्र का कुप्रबंधन किया जा रहा है" और यह कि अनुपचारित एमएसडब्ल्यू को जलाने से गंभीर वायु प्रदूषण हो रहा था जो आस-पास के गांवों के निवासियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा था।ओ. ए. के लंबित रहने के दौरान ऐसा होने से रोकने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए गए थे;

डी.

(ii) 22 दिसंबर 2015 को, एनजीटी ने सूरत जिले में एमएसडब्ल्यू के प्रबंधन के लिए एक उचित कार्य योजना और लेखा परीक्षा तैयार नहीं करने के लिए एसएमसी को फिर से फटकार लगाई।हालाँकि, लैंडफिल साइट के प्रबंधन में उनकी भागीदारी के अपीलार्थी के मुद्दे पर, एनजीटी ने नोट किया कि यह अंतिम सुनवाई के दौरान तय किया जाएगा;

ई.

(iii) 7 मार्च 2016 को, एनजीटी ने एसएमसी के आयुक्त को उपस्थित रहने और निम्नलिखित मुद्दों पर एक बयान देने का निर्देश दिया:(क) नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रबंधन) नियम 2000 के आदेश के अनुसार एकत्रित, उपचारित और निपटान किए गए कचरे की सीमा; (ख) वे अधिकारी जो नियमों को लागू करने में विफल रहे हैं और एनजीटी के निर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं; (ग) समय सारिणी जिसके भीतर नियमों के संदर्भ में क्षेत्र में उचित अपशिष्ट प्रबंधन किया जाएगा; और (घ) एक वचन पत्र दाखिल करना कि अपशिष्ट प्रबंधन अक्षर और भावना से किया जाएगा;

एफ.

जी.

5 " एस. डब्ल्यू. एम नियम "

एच.

1011

कांता विभाग युवा कोली समाज परिवर्तन ट्रस्ट बनाम गुजरात राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे.] ए.

ए.

(iv) 16 मई 2017 को, एनजीटी ने नोट किया कि अपने पिछले निर्देशों के अनुसरण में, एसएमसी ने एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उस कार्य योजना का संकेत दिया गया था जिसे उसने अपने अधिकार क्षेत्र में एमएसडब्ल्यू की समस्या से निपटने के लिए निष्पादित करने का प्रस्ताव किया था।एनजीटी को सूचित किया गया कि खाजोद डंपिंग साइट को बंद करने से संबंधित मुद्दा एसएमसी की स्थायी समिति के समक्ष लंबित है। इसलिए, एनजीटी ने स्थायी समिति को एक महीने के भीतर खुले डंपिंग स्थल को बंद करने का काम शुरू करने के लिए निर्णय लेने और कार्य आदेश जारी करने का निर्देश दिया।इसके अलावा, एस. एम. सी. को उन भूमि का विवरण रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया गया जहां परियोजनाओं को चालू किया जाना है।

बी.

सी.

(v) 19 सितंबर 2017 को, एस. एम. सी. की ओर से एक बयान दिया गया था कि यह एस. डब्ल्यू. एम. नियमों का पालन करने के लिए एक दायित्व के तहत है और खजोद में साइट को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर लैंडफिल, एक एमएसडब्ल्यू प्रसंस्करण संयंत्र और 100 टी. पी. डी. के अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र के लिए नामित किया गया है।

डी.

(vi) 19 सितंबर 2017 के एनजीटी के आदेश के अनुसार, अपीलार्थीगण ने एसडब्ल्यूएम नियमों के कार्यान्वयन के लिए कुछ कार्य बिंदु तैयार किए।26 सितंबर 2017 को, नगर आयुक्त द्वारा एस. एम. सी. की ओर से एक वचन पत्र दायर किया गया था जिसमें एमएस. डब्ल्यू., परिवहन, भंडारण और प्रसंस्करण के साथ-साथ अन्य संबंधित मामलों से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को निर्धारित किया गया था।उपक्रम ने निर्धारित किया कि "ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के काम करने" और कुछ अन्य शर्तों के अधीन दो साल के बाद बिना संसाधित और अलग-अलग एमएसडब्ल्यू की लैंडफिलिंग या डंपिंग नहीं होगी;

ई.

एफ.

(vii) 6 नवंबर 2017 को, एन. जी. टी. द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि वह एस. एम. सी., अन्य बातों के साथ-साथ, एस. डब्ल्यू. एम. नियमों को ध्यान में रखते हुए और प्रस्तावित उपयोग पर सुनवाई करेगा।एनजीटी ने यह भी संकेत दिया कि वह एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र और अपशिष्ट-से-खाद संयंत्र के चालू होने पर प्रस्तुतियों पर सुनवाई करेगा।

जी.

एच.

(viii) 5 दिसंबर 2017 को एनजीटी द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जो विशेष रूप से ठोस कचरे को जलाने और भूजल प्रदूषण से हुए नुकसान के कारण किसानों को मुआवजे की मात्रा के मुद्दे से संबंधित था।

(ix) 2 जुलाई 2018 को, एनजीटी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि एसएमसी द्वारा उसके समक्ष जो निवेदन किए गए थे, वे अस्वीकार्य थे।एनजीटी ने इस तर्क को स्वीकार करने से

इनकार कर दिया कि अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र केवल दिसंबर 2019 तक पूरा किया जा सकता है, और निर्देश दिया कि इसे मार्च 2018 तक पूरा किया जाना चाहिए; और

बी.

सी.

(x) 17 जुलाई 2018 को, एनजीटी ने नोट किया कि एसएमसी की वर्तमान कार्य योजना प्रथम दृष्टया पुराने डंपिंग साइटों और पुराने कचरे के बंद करने और पुनर्वास के संबंध में एसडब्ल्यूएम नियमों की अनुसूची-I के खंड जे की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। इसलिए, इसने एस. एम. सी. को अपने अनुपालन को दर्ज करते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

डी.

5. उपरोक्त आदेशों से जुड़ी सुनवाई के दौरान काफी मात्रा में न्यायिक समय और ध्यान दिया गया था।इससे पहले पश्चिमी क्षेत्र पीठ में एनजीटी की पीठ एसडब्ल्यूएम नियमों के अनुपालन की स्थिति की निगरानी कर रही थी।एन. जी. टी. को एस. एम. सी. द्वारा एम. एस. डब्ल्यू. के निपटान से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया गया था, जिसमें कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए भविष्य में परियोजनाओं को चालू करते समय जिन तौर-तरीकों का पालन करना होगा, वे भी शामिल हैं।

ई.

6. बल्कि आश्चर्यजनक रूप से, जब 28 सितंबर 2018 को एन. जी. टी. की प्रधान पीठ के समक्ष कार्यवाही हुई, तो ओ. ए. का निपटारा इस आधार पर किया गया कि 2018 के एक अन्य ओ. ए.-ओ. ए. संख्या 606-में एन. जी. टी. ने एस. डब्ल्यू. एम. नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शीर्ष, क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया था। अपीलार्थीगण द्वारा दायर ओ. ए. को इस प्रकार मामले का प्रतिनिधित्व करने और उपयुक्त समिति के समक्ष सभी शिकायतों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता के साथ बंद कर दिया गया था। संदर्भ की सुविधा के लिए, एन. जी. टी. द्वारा पारित आदेश नीचे दिया गया हैः

एफ.

जी.

“चूंकि यह ओ. ए. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन से संबंधित है, इसलिए हमारा मानना है कि यह 2018 के ओ. ए. संख्या 606 में 20 अगस्त, 2018 को न्यायाधिकरण की बड़ी पीठ द्वारा पारित आदेश के दायरे में आता है।

एच.

कांता विभाग युवा कोली समाज परिवर्तन ट्रस्ट बनाम गुजरात राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

आवेदक को अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने और समिति के समक्ष सभी शिकायतों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी जो इसे देखेगी और अंत में उसी पर निर्णय लेगी।

नतीजतन, 2014 की ओ. ए. संख्या 81 का निपटारा कर दिया गया है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.

2018 का एम. ए. सं. 1392 और 2018 का 1393

ये आवेदन विचार के लिए जीवित नहीं रहते हैं क्योंकि मुख्य आवेदन पर निर्णय ले लिया गया है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।"7. इस मोड़ पर, 2018 के ओ. ए. संख्या 606 में 31 अगस्त 2018 के एन. जी. टी. के फैसले और आदेश के बारे में विस्तार से बताना भी महत्वपूर्ण है।वे कार्यवाही देश भर में एस. डब्ल्यू. एम. नियमों के उचित कार्यान्वयन के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं से उत्पन्न हुई, जिन्हें बाद में एन. जी. टी. को स्थानांतरित कर दिया गया। एनजीटी ने अपने फैसले में कहा कि हालांकि उसने पहले एसडब्ल्यूएम नियमों के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए थे, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया था।बाद में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आयोजित एक बैठक में, यह सिफारिश की गई कि एन. जी. टी. को एस. डब्ल्यू. एम. नियमों और एन. जी. टी. द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष, क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय समितियों का गठन करना चाहिए और इन समितियों को एन. जी. टी. को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। इस प्रकार, एनजीटी ने निम्नलिखित निर्देश दिए:

सी.

डी.

ई.

(i) शीर्ष निगरानी समिति का गठन अगले आदेश तक एक वर्ष के लिए किया गया था।इसकी भूमिका संबंधित मंत्रालयों और क्षेत्रीय निगरानी समितियों के साथ बातचीत करना था, और यह दिशानिर्देश/निर्देश तैयार कर सकता था जो क्षेत्रीय निगरानी समितियों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपयोगी हो सकते हैं।इसे अधिमानतः हर महीने मिलना था, और अधिमानतः महीने में एक बार क्षेत्रीय निगरानी समितियों से भी मिलना था।इसके बाद यह हर तिमाही में एनजीटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।इसके अलावा, यह भी निर्देश दिया गया कि समिति सूचना के प्रसार के लिए एक वेबसाइट स्थापित करे, ताकि सार्वजनिक भागीदारी को सक्षम बनाया जा सके।

एफ.

जी.

((ii) प्रत्येक क्षेत्र-उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और मध्य के लिए अगले आदेश तक एक वर्ष के लिए क्षेत्रीय निगरानी समितियों का गठन किया गया था।उन्हें एस. डब्ल्यू. एम. नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना था, और जैव का मिश्रण -

एच.

एमएसडब्ल्यू के साथ चिकित्सा अपशिष्ट नहीं होता है और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार संसाधित किया जाता है।समितियों को अधिमानतः हर सप्ताह मिलना था, और शीर्ष निगरानी समिति से मिलना था, आपस में बातचीत करनी थी और आवश्यकता पड़ने पर राज्यों से मिलना था।उन्हें तिमाही में दो बार शीर्ष निगरानी समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, और पहली तिमाही के बाद एनजीटी को एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी थी।शीर्ष निगरानी समिति की तरह, क्षेत्रीय निगरानी समितियों को भी वेबसाइट स्थापित करने का निर्देश दिया गया था; और

बी.

सी.

(iii) प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए अगले आदेश तक एक वर्ष के लिए राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया गया था।उन्हें अधिमानतः हर दो सप्ताह में एक बार स्थानीय निकायों के साथ मिलना था, और स्थानीय निकायों को उन्हें महीने में दो बार रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।उन्हें एस. डब्ल्यू. एम. नियमों के अनुसार और शीर्ष और क्षेत्रीय निगरानी समितियों के निर्देशों के अनुरूप तकनीकी और नीतिगत मुद्दों पर निर्णय लेना था। इसके अलावा, उन्हें मासिक आधार पर क्षेत्रीय निगरानी समिति को अपनी रिपोर्ट भेजनी थी।यह भी निर्देश दिया गया कि सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए और एमएसडब्ल्यू की स्थिति को सार्वजनिक किया जाए।

डी.

ई.

एनजीटी ने निर्देश दिया कि समितियां किसी भी प्राधिकरण को एनजीटी के आदेशों के निष्पादन के लिए निर्देश जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगी।8. अपीलार्थीगण की ओर से पेश अधिवक्ता सुश्री शिल्पा चौहान ने कहा कि एनजीटी की पश्चिमी क्षेत्र पीठ द्वारा मामले के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने में हासिल की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थीगण को एक समिति के पास भेजना पूरी तरह से अनुचित था।इसके अलावा, यह आग्रह किया जाता है कि क्षतिपूर्ति प्रदान करने का अधिकार क्षेत्र एन. जी. टी. को सौंपा जाए और इसलिए, निर्णय को समिति के पास भेजकर ओ. ए. का निपटारा करना उचित या उचित नहीं था।

एफ.

जी.

9. दूसरी ओर, एस. एम. सी. की ओर से पेश अधिवक्ता श्री तेजास पटेल ने कहा कि अपीलार्थीगण ने ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की है जिसके आधार पर मुआवजे का दावा किया जा सके।इसके अलावा, यह आग्रह किया गया कि उनके पास उपयुक्त समिति के समक्ष अपनी शिकायतों को उजागर करने का उपाय हो।

एच.

1015

कांता विभाग युवा कोली समाज परिवर्तन ट्रस्ट बनाम गुजरात राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

10. अपीलार्थीगण द्वारा एनजीटी अधिनियम की धारा 14 और 15 के तहत ओ. ए. दायर किया गया था। एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 14 6 एन. जी. टी. को उन सभी दीवानी मामलों पर अधिकारिता प्रदान करती है जहां पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, और ऐसा प्रश्न क़ानून की अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होता है।धारा 15 की उप-धारा (1) निम्नलिखित शब्दों में हैः

बी.

“15. राहत, क्षतिपूर्ति और प्रतिपूर्ति।—(1) न्यायाधिकरण

एक आदेश द्वारा, प्रदान कर सकते हैं -

(क) अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत उत्पन्न प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को राहत और मुआवजा (किसी भी खतरनाक पदार्थ को संभालते समय होने वाली दुर्घटना सहित);

सी.

(बी) क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली के लिए;

(ग) ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए पर्यावरण की बहाली के लिए, जो न्यायाधिकरण उचित समझे।"

डी.

11. मंत्री टेकजोन **(**पी**)** लिमिटेड बनामफॉरवर्ड फाउंडेशन **7,** ए

इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने रेखांकित किया कि एनजीटी अधिनियम की धारा 15 (1) (सी) एनजीटी को व्यापक शक्तियां सौंपती है। अदालत की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने कहाः

"43. अधिनियम की धारा 15 (1) (सी) अधिनियम की धारा 20 के साथ पठित शक्ति और अधिकार क्षेत्र का एक पूरा द्वीप है। इस न्यायालय द्वारा कई न्यायिक निर्णयों के माध्यम से प्रतिपादित सतत विकास, एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान के सिद्धांतों को अब विकास के आधार के रूप में शामिल किया गया है।

ई.

एफ.

6 "14. विवादों को निपटाने के लिए न्यायाधिकरण।—(1) न्यायाधिकरण के पास उन सभी दीवानी मामलों पर अधिकारिता होगी जहां पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न (पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित) शामिल है और ऐसा प्रश्न अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होता है।

(2) न्यायाधिकरण उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले विवादों की सुनवाई करेगा और ऐसे विवादों का निपटारा करेगा और उन पर आदेश पारित करेगा।

जी.

(3) इस धारा के तहत विवाद के निर्णय के लिए कोई भी आवेदन न्यायाधिकरण द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि यह उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है जिस दिन इस तरह के विवाद के लिए कार्रवाई का कारण पहली बार उत्पन्न हुआ थाः

बशर्ते कि न्यायाधिकरण, यदि यह संतुष्ट हो कि आवेदक को उक्त अवधि के भीतर आवेदन दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो इसे साठ दिनों से अधिक की अवधि के भीतर दायर करने की अनुमति दे सकता है।"

एच.

7 (2019) 18 एससीसी 494

एन. जी. टी. अधिनियम के तहत पर्यावरण न्यायशास्त्र। इसलिए, जहां कहीं भी पर्यावरण और पारिस्थितिकी से समझौता किया जा रहा है और खतरे में डाला जा रहा है, न्यायाधिकरण पर्यावरण के हित में पुनर्स्थापनात्मक उपाय करने के लिए धारा 20 लागू कर सकता है।"

12. अपीलार्थीगण द्वारा दायर ओ. ए. ने धारा 14 के तहत एन. जी. टी. के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुद्दों को उठाया, क्योंकि यह एस. डब्ल्यू. एम. नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित है।एस. डब्ल्यू. एम. नियमों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3,6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अधिसूचित किया गया है, जो एन. जी. टी. अधिनियम की अनुसूची I में प्रविष्टि 5 है। अपीलार्थीगण द्वारा मांगी गई कोई भी प्रार्थना ऐसी प्रकृति की नहीं है जिसे एनजीटी अधिनियम की धारा 15 (1) के तहत अपनी शक्तियों के अनुसार एनजीटी द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है। ओ. ए. पर अगस्त 2014 से एन. जी. टी. की पश्चिमी क्षेत्र पीठ द्वारा लगातार सुनवाई की जा रही थी और इसने पहले ही महत्वपूर्ण अंतरिम निर्देश जारी कर दिए थे।

बी.

सी.

13. इसलिए, हमारे सामने मुद्दा केवल यह है कि क्या एनजीटी की प्रधान पीठ ने अपीलार्थीगण को ओ. ए. में कार्यवाही जारी रखने के बजाय अब उसके द्वारा गठित समितियों में से किसी एक से संपर्क करने का सही निर्देश दिया है। इसे समझने के लिए, हमें पहले ऐसी समितियों की भूमिका पर विचार करना चाहिए जो अदालतों और न्यायाधिकरणों द्वारा समान रूप से स्थापित की जाती हैं।

डी.

14. सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि अदालतों/न्यायाधिकरणों द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समितियों को कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने या किसी विशेष कानून के तहत सरकार द्वारा स्थापित समितियों से अलग किया जाए।उत्तरार्द्ध को किसी दिए गए क्षेत्र में उनकी तकनीकी विशेषज्ञता के कारण स्थापित किया जाता है, और उनकी रिपोर्ट, न्यायिक रूप से देखे गए प्रतिबंधों के अधीन होती हैं, अदालतों के समक्ष न्यायिक समीक्षा के लिए खुली होती हैं जब निर्णय पूरी तरह से उनके आधार पर लिए जाते हैं।इस न्यायालय के उदाहरणों में सर्वसम्मति से कहा गया है कि अदालतों को इन समितियों की राय को अस्वीकार करने में सावधानी बरतनी चाहिए, जब तक कि वे अपने निर्णय को स्पष्ट रूप से मनमाना या दुर्भावनापूर्ण नहीं पाते हैं।दूसरी ओर, अदालतें/न्यायाधिकरण स्वयं अवसर पर विशेषज्ञ समितियों का गठन करते हैं।इन समितियों का गठन इसलिए किया जाता है क्योंकि कई मामलों में तथ्य खोजने की कवायद जटिल, तकनीकी और समय लेने वाली हो सकती है, और अक्सर समितियों को क्षेत्र का दौरा करने की आवश्यकता हो सकती है।इन समितियों का गठन

उनके जनादेश को रेखांकित करने वाले संदर्भ की विशिष्ट शर्तों के साथ किया जाता है, और उनकी रिपोर्ट को जनादेश के अनुरूप होना चाहिए।एक बार जब ये समितियाँ प्रस्तुत करती हैं

ई.

एफ.

जी.

8 बसवैया (डॉ.) बनाम डॉ. एच. एल. रमेश, (2010) 8 एस. सी. सी. 372 (किसी शैक्षणिक संस्थान में नियुक्ति के संबंध में); केरल राज्य बनाम आर. डी. एस. परियोजना लिमिटेड, (2020) 9 एस. सी. सी. 108 (एक फ्लाईओवर परियोजना की सुरक्षा के संबंध में)

एच.

1017

कांता विभाग युवा कोली समाज परिवर्तन ट्रस्ट बनाम गुजरात राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

न्यायालय/न्यायाधिकरण को उनकी अंतिम रिपोर्ट, पक्षकारों के लिए उन पर आपत्ति करने के लिए खुला है, जिस पर तब निर्णय लिया जाता है।इन विशेषज्ञ समितियों की भूमिका न्यायालय या न्यायाधिकरण की न्यायिक भूमिका का स्थान नहीं लेती है।एक न्यायनिर्णायक मंच द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति की भूमिका केवल उन्हें बेहतर डेटा और तथ्यात्मक स्पष्टता प्रदान करके न्यायनिर्णायक कार्यों के अभ्यास में सहायता करने के लिए है, जिसे सभी संबंधित पक्षों द्वारा चुनौती दी जा सकती है।आपत्तियों को उठाने और उन पर विचार करने की अनुमति देना सभी हितधारकों के लिए प्रक्रिया को निष्पक्ष और सहभागी बनाता है।

बी.

15. धारा 14 और धारा 15 एन. जी. टी. को न्यायिक कार्य सौंपते हैं। एन. जी. टी. एक विशेष निकाय है जिसमें न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं।न्यायिक सदस्य मामलों के न्यायनिर्णयन में अपना अनुभव प्रदान करते हैं।दूसरी ओर, विशेषज्ञ सदस्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में संबंधित मुद्दों पर वैज्ञानिक ज्ञान लाते हैं

सी.

पर्यावरण।हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम भारत संघ **9** में

इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एनजीटी पर्यावरण पर एक विशेषज्ञ न्यायिक निकाय है।न्यायालय ने कहाः

डी.

“133. एन. जी. टी. अधिनियम एक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान करता है जिसमें न्यायिक और विशेषज्ञ दोनों सदस्य होते हैं।कानून द्वारा परिकल्पित न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के मिश्रण का कारण यह है कि न्यायाधिकरण को उन प्रश्नों पर विचार करने के लिए कहा जाता है जिनमें विज्ञान के अनुप्रयोग और मूल्यांकन और पर्यावरण के साथ इसके इंटरफेस शामिल हैं।

ई.

134. एनजीटी पर्यावरण पर एक विशेषज्ञ न्यायनिर्णायक निकाय है।” जब पर्यावरण के मुद्दों की बात आती है तो एनजीटी के पास 'विशेषज्ञता' की कमी नहीं है।

एफ.

16. धारा 15 एन. जी. टी. को प्रदूषण के पीड़ितों और पर्यावरणीय क्षति के लिए मुआवजा देने, क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली और पर्यावरण की बहाली के लिए प्रावधान करने का अधिकार देती है।एनजीटी इन मुख्य न्यायिक कार्यों को प्रशासनिक विशेषज्ञ समितियों को सौंपकर अपने अधिकार क्षेत्र का त्याग नहीं कर सकता है।विशेषज्ञ समितियों को एन. जी. टी. के कार्य के निष्पादन में सहायता करने और इसकी तथ्य-खोज भूमिका के सहायक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।लेकिन कानून के तहत निर्णय एनजीटी को सौंपा गया है और इसे प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं सौंपा जा सकता है।न्यायनिर्णायक कार्य सौंपे गए

जी.

9 (2019) 15 एस. सी. सी. 401

एच.

अदालतों और न्यायाधिकरणों को प्रशासनिक समितियों के हवाले नहीं किया जा सकता है।

संघार जुबेर इस्माइल बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य 10 में, इसकी तीन-न्यायाधीशों की पीठ

अदालत ने कहा कि एनजीटी एनजीटी अधिनियम की धारा 16 (एच) के तहत पर्यावरण मंजूरी के लिए चुनौती सुनने से इनकार नहीं कर सकता है और अनुपालन पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को एक विशेषज्ञ समिति को सौंप सकता है।न्यायालय ने कहाः

बी.

“8...एन. जी. टी. ने अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में चुनौती के मूल आधारों पर विचार नहीं किया है।विशेषज्ञ समिति का गठन एनजीटी को निर्णय लेने के अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं करता है।एन. जी. टी. का न्यायिक कार्य समितियों, यहाँ तक कि विशेषज्ञ समितियों को भी नहीं सौंपा जा सकता है।निर्णय एन. जी. टी. का होना चाहिए। एन. जी. टी. का गठन संसद के एक अधिनियम के तहत एक विशेषज्ञ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में किया गया है।न्यायाधिकरण में निहित किसी कार्य को करने के लिए कार्य समितियों द्वारा इसके कार्यों के निर्वहन को रोका नहीं जा सकता है।”

सी.

डी.

17. एनजीटी ने वर्तमान मामले में अपने अधिकार क्षेत्र को छोड़ दिया है और न्यायिक कार्यों को एक प्रशासनिक विशेषज्ञ समिति को सौंप दिया है।उदाहरण के लिए, एक विशेषज्ञ समिति एन. जी. टी. की सहायता करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन निर्णय एन. जी. टी. द्वारा किया जाना चाहिए। यह एक प्रत्यायोजित कार्य नहीं है।अतः, अपील में आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।विवादित आदेश का परिणाम उस सावधानीपूर्वक अभ्यास को समाप्त करना है जो पहले की पीठों द्वारा किया गया था।इस बीच बहुमूल्य समय बर्बाद हो गया है और वर्तमान मामले में पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को पीछे छोड़ दिया गया है।

ई.

18. इसलिए, हमारा विचार है कि विवादित आदेश को दरकिनार करना और 2014 (डब्ल्यू. जेड.) के ओ. ए. संख्या 81 को एन. जी. टी. की फाइल में बहाल करना उचित होगा। हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और 28 सितंबर 2018 के विवादित आदेश को रद्द कर देते हैं। 2014 (डब्ल्यू. जेड.) के ओ. ए. सं. 81 को एन. जी. टी. की फाइल में बहाल कर दिया गया है। एनजीटी उस मंच से कार्यवाही की सुनवाई शुरू करेगा जो 28 सितंबर 2018 के विवादित आदेश के पारित होने से पहले आया था।दुर्भाग्य से, इस बीच तीन साल से अधिक समय बीत चुका है, एक ऐसी देरी जिसे टाला जा सकता था अगर एनजीटी उन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ता जो उसके सामने उठाए गए थे।

एफ.

जी.

10 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 669 ए

एच.

कांता विभाग युवा कोली समाज परिवर्तन ट्रस्ट बनाम गुजरात राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

19. इस न्यायालय ने एनजीटी के समक्ष उठाए गए मुद्दों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। एन. जी. टी. पक्षकारों को सुनने के बाद एक उचित दृष्टिकोण अपनाएगा और उन निर्देशों को जारी रखने के लिए उचित निर्देश जारी करेगा जो इस क्षेत्र को धारण करते हैं।

20. अदालत को अवगत कराया गया कि प्रधान पीठ द्वारा विवादित आदेश पारित किया गया था क्योंकि एनजीटी की पश्चिमी क्षेत्र पीठ प्रासंगिक समय पर काम नहीं कर रही थी। अतः, 2014 (डब्ल्यू. जेड.) के ओ. ए. सं. 81 की सुनवाई अब उस पीठ द्वारा की जा सकती है जिसे ओ. ए. के विषय की सुनवाई के लिए अपेक्षित अधिकार क्षेत्र सौंपा गया है।

बी.

21. तदनुसार उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है।22. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

सी.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.